"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2011—पौष 7, शक 1933

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक 6-36/सात-1/2011.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (तीन) सहपठित धारा 59 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ खनन पट्टे, खदान पट्टे के अधीन भूमि पर निर्धारण नियम, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 3 से सम्बद्ध सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात् :—

"सारणी

स. क्र. (1)	किसी विशिष्ट खान या खदान के लिये पट्टे पर दिया गया कुल क्षेत्र (2)	भू-राजस्व के निर्धारण की दर प्रति हेक्टेयर (रुपयों में) (3)
1.	4 हेक्टर तथा उससे कम	1,000
2.	4 हेक्टर से अधिक तथा 8 हेक्टर तक	2,500
3.	8 हेक्टर से अधिक तथा 12 हेक्टर तक	5,000

(1)	(2)	(3)
4.	12 हेक्टर से अधिक तथा 16 हेक्टर तक	10,000
5.	16 हेक्टर से अधिक तथा 20 हेक्टर तक	15,000
6.	20 हेक्टर से अधिक तथा 25 हेक्टर तक	20,000
7.	25 हेक्टर से अधिक	25,000

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, उप-सचिव.

Raipur, the 27th December 2011

NOTIFICATION

No. F-6-36/Seven-1/2011.—In exercise of powers conferred by clause (iii) of sub-section (2) of Section 258 read with sub-section (1) of Section 59 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, makes in the following amendment in the Chhattisgarh Land Under Mining Leases Quarry Leases Assessement Rules, 1987, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

For the table attached to Rule 3, the following table shall be substituted, namely :—

"TABLE

S. No.	Total area leased out for any particular mine or quarry	Rate of Assessment of Land Revenue per hectare (In rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	4 hectares and less	1,000
2.	More than 4 hectares and upto 8 hectares	2,500
3.	More than 8 hectares and upto 12 hectares	5,000
4.	More than 12 hectares and upto 16 hectares	10,000
5.	More than 16 hectares and upto 20 hectares	15,000
6.	More than 20 hectares and upto 25 hectares	20,000
7.	More than 25 hectares	25,000

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.